Navbharat Times Edition Ghaziabad
25.11.2016 Page 3
Height 11.09cm Width 17.75 cm

खुशखबरी | तत्काल सुविधा के तहत बिना पुलिस वेरिफिकेशन के बनेगा पासपोर्ट

आधार और पैनकार्ड है तो तीन दिन में बनेगा पासपोर्ट

Akhandpratap.Singh
@timesgroup.com

■ **अगर आपके** पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी है तो आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तत्काल बेस पर आपका पासपोर्ट बनाया जाएगा। इतना ही नहीं तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 2000 रुपये की फीस भी नहीं देनी होगी। हां इतना जरूर है कि जो तीनों डॉक्युमेंट्स आप देंगे, उनमें दी गई जानकारी आपस में मैच होनी चाहिए। जैसे आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि। अगर यह डिटेल आपस में मैच नहीं कर रही होगी तो आपका पासपोर्ट फंस सकता है।

रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर सुब्रतो हजारा ने बताया कि सरकार की तरफ से तीनों आईडी प्रूफ को प्रमोट किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति के पास उक्त तीनों आईडी हैं तो उसे तीन दिन में पासपोर्ट मुहैया करा दिया जाएगा। ऐसे लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन बाद में करवाई जाएगी। हालांकि इसके लिए एनेक्चर आई के रूप में एक ऐफिडेविट देना होगा। इसका फॉर्मेट पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अनुसार 10 रुपये के नॉन जुडिशल स्टांप पर इसे नोटरी करवा कर जमा किया जा सकता है। बता दें कि नॉर्मल पासपोर्ट बनने में 21 दिन का समय लगता है। ऐसा तब होता है जब काम बिना रुके चलते रहे। कई बार पुलिस वेरिफिकेशन में देरी होने की वजह से इसमें और अधिक समय लग जाता है।

3 दिसंबर को लगेगा कैंप

सुब्रतो हजारा ने बताया कि गलत डॉक्युमेंट्स जमा होने से जब आवेदन खारिज हो जाता है, तो लोग एजेंट के पास चले जाते है। जहां एजेंट उनसे मनमाने पैसे वसूलता है। इस जागरूकता अभियान से इस तरह की चीजों को भी खत्म किया जाएगा। अभी तक एबीएस स्कूल मुरादनगर और आईटीएस मुरादनगर में कैंप लगाया जा चुका है। 3 दिसंबर को आईटीएस मोहननगर और आईएमएस गाजियाबाद में कैंप लगाया जाएगा।

पासपोर्ट बनने का काम शुरू

नए सिस्टम के तहत पासपोर्ट बनने का काम शुरू हो गया है। हर रोज पांच से दस लोगों के पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। नॉर्मल पासपोर्ट के लिए हर रोज 1000 आवेदन आते हैं, वहीं तत्काल के लिए हर रोज करीब 125 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। नॉर्मल आवेदकों के पैनकार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी को ऑनलाइन चेक किया जाता है। जिससे डॉक्युमेंट्स फर्जी होने की संभावना कम रहती है। इसके बाद आवेदकों की पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाती है।

नहीं देना होगा बर्थ सर्टिफिकेट

आने वाले दिनों में पासपोर्ट बनवाने के लिए 26 जनवरी 1989 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले पैदा हुए लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। सर्वे के दौरान पता चला है कि 1989 के बाद पैदा हुए बड़ी संख्या में लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने हैं। इस नियम की वजह से उनका पासपोर्ट नहीं बन पाता है।